न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 82/2012

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
भावाराम पुत्र सरूपा जाति देवासी निवासी बीजापुर तहसील बाली		1. मालाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली 2. तहसीलदार भूमिधारी, तहसील बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सूरजप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से 5ए0

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/12/17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद संख्या 76/2009 भावाराम बनाम मालाराम में सहायक कलक्टर, बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली के समक्ष एक राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त सेटलमेन्ट से खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है। खसरा नम्बर 463 के दो खसरा तहरीर किये गये है, जो खसरा नम्बर 718/2905 रकबा 0.24 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 718/2905/2952 रकबा 0.41 हैक्टेयर बनाए गए। जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 718/2905 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी, जबकि शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। इस कारण अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरी की प्रतियां भी प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर किसी प्रकार का गौर नही किया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 84 दायर करना बताते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है, जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा न होकर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वक्त आवंटन से ही अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में होने के कारण भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नही थी, इसके बावजूद विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम आवंटन कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। ये समस्त तथ्य वाद में तय होने है, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में होने के बावजूद भी जैर अपील आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की भूल की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलाण्ट की कृषि भूमि में हस्तक्षेप नही करें, कब्जा काश्त से महरूम नही करें, उपयोग उपभोग से वंचित नही करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर आये समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन बिन्दुओं पर न्यायालय को अपना मत प्रकट करना होता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति पर अपना मत व्यक्त करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.10.2009 को एक राजस्व वाद तथा उसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जवाब आदि प्राप्त कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रार्थी/अपीलाण्ट के उक्त वादस्थ भूमि पर कब्जे बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार का कब्जा मानते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नही होना जाहिर किया है। इसी अनुरूप सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने के कारण अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली